समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेष ग्वालियर (म0प्र0)

• प्रकरण क /2015 पुनर्विलोकन निग / 3121 / I / 15

श्री सुनील सिंह बघेल एड0 को द्वारा आज दि. 16/9/15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

83

1. रज्जाक पिता गांजी मुसलमान
2. कुमारी दुरलजुआ जौजे सकूर मोहम्मद
3. नसीरून्निशा जौजे नशीरूददीन
4. सुबराती तनय सकूर मोहम्मद
5. अव्दुल मजीद तनय सकूर मोहम्मद
6. सत्तार बक्स तनय सकूर मोहम्मद
7. शब्बीर मोहम्मद तनय सकूर मोहम्मद
सभी निवासीगण ग्राम बल्हया तहसील सिहावल जिला सीधी म.प्र. ।

.........आवेदकगण

विरूद्ध

रहमत पिता गांजी मुसलमान निवासी ग्राम बल्हया तहसील सिहावल जिला सीधी म0प्र0

..........अनावेदक

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत म.प्र. भू–राजस्व सहिता , 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी 1007/तीन /2009 सीधी मे पारित आदेश दिनांक 26.06.2014 को पुर्नविलोकन किये जाने वावत ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

प्रकरण के संक्षेप तथ्य

आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त,रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क 269/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 17.07.09 के विरूद्ध निगरानी प्र. क. 1007/तीन/09 प्रस्तुत की गई जिस निगरानी को स्वीकार न करते हुये माननीय विद्धवान न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश दिनांक 26–06–2014 से निरस्त की गई ।

1. यहकि, आवेदक काफी गरीब व निर्धन व्यक्ति है आवेदकगण का उक्त भूमि पर ही घर वना हुआ है अगर आवेदकगण का पूर्नविलोकन आवेदन पत्र स्वीकार नही किया गया तो आवेदकगण को उक्त भूमि से वेदखल कर देगे जिससे आवेदकगण को काफी मानसिंक व शारीरिक व आर्थिक हानि होगी एंव घर से वेघर हो जावेगा।
2. यहकि, आवेदकगण का उक्त भूमि ग्राम बल्हया सर्वे क 5 रकवा 0.720 है0 (पुराना नम्बर) नया नम्बर वर्तमान मे सर्वे क 144,151,156,157,वना गया हैं आवेदकगण का काफी पुराना अपने पूर्वजो के समय से उक्त भूमि पर कव्जा चला आ रहा है। विगत 40–50 साल से कव्जा होकर खसरा खतोनी मे भी आवेदकगण का नाम इन्द्राज है **जिस खसरा वर्ष 1994–95** एंव 2005–2009 की एंव वर्ष 2011–2013 **की प्रति अनेक्चर पी–1** है। एंव उक्त भूमि पर आवेदकगण को **मुहावजा भी मिला है उक्त भू–अर्जन अधिकारी वाणसागर परियोजना रीवा की** प्रति अनेक्चर पी–2 हैं **एंव आज भी उक्त भूमि पर घर वना हुआ है जिस पर रहनवार है। उक्त** *नक्सा की प्रति अनेक्चर पी–3 है।*
3. यहकि, आवेदकगण उक्त भूमि सर्वे क 5 रकवा 0.720 हे0 पर नामांतरण कराये जाने हेतु विधिवत एंव नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर विधिवत् ईश्तहार जारी कर आपत्तिया आमंत्रित कर ,पटवारी मोजा की रिपोर्ट आदि सभी नामांतरण प्रकिया का पालन किये जाने के उंपरात राजस्व निरीक्षक अमिलिया द्वारा नामांतरण पंजी क 08 आदेश दिनांक 07.07. 1995 से नामांतरण अपने पक्ष मे करालिया गया । जिसपर अनावेदक की कोई आपत्ति भी नही रही है।
4. यहकि, आवेदकगण के नामांतरण पंजी आदेश के विरूद्ध अन्य व्यक्तियो के वहकावे मे आकर द्वेष भावना रखते हुये सहमति नामांतरण आदेश 07.01.95 के विरूद्ध काफी विलम्ब के वाद लगभग 3–4 साल वाद अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष अपील क 71/98–98 प्रस्तुत की गई जिस अपील को अवैध रूप से धारा –5 का उल्लेख किये वगैर एंव विलम्ब क्षमा किये वगैर अवैध व मनमाने पूर्ण तरीके से अपील आदेश दिनांक 12.12.01 से स्वीकार करते हुये

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3121–एक/2015 पुनरावलोकन जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एंव विवरण	पक्षकारों अभि.के हस्ता.
25.4.16	न्यायालयीन प्रकरण कमांक 1007–तीन/2009 में पारित आदेश दिनांक 26–6–2014 के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने वही तर्क दोहराये हैं जो उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन में अंकित किये हैं। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि आवेदकगण के अभिभाषक ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जिन पर आदेश दिनांक 26–6–14 में विचार हो चुका है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्न आधार बताये गये हैं– 1. किसी नई और महत्वपूर्ण विषयवस्तु या साक्ष्य की खोज, जो उस समय जब डिक्री पारित हुई या आदेश दिया गया, पेश नहीं की जा सकी। 2. किसी ऐसी भ्रान्ति पूर्ण गलती या भूल जो रिकार्ड से प्रत्यक्ष दर्शित हो। 3. अन्य किसी महत्वूर्ण आधार पर। आवेदकगण के अभिभाषक उक्त में से कोई भी तथ्य प्रस्तुत कर पुष्टिकरण नहीं करा सके । अतएव पुनरावलोकन आवेदन आधारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य किया जाता है। सदस्य	